



भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी
शिमला 171 009. दूरभाष:- 0177- 2629481

शिमला में भारतीय रिज़र्व बैंक के आवासीय परिसर हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए Expression Of Interest' (EOI) का आमंत्रण

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की शिमला शाखा के आवासीय परिसर के लिए, 'द मॉल' / HP सचिवालय, शिमला के 08 किलोमीटर के दायरे में, कम से कम 5 एकड़ / 20,000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदने के लिए Expression Of Interest (EOI) आमंत्रित की जाती है। यह आमंत्रण उन इच्छुक मालिकों / बिल्डरों के लिए है जिनके पास अपनी ज़मीन बेचने का स्पष्ट और पूर्ण स्वामित्व (Title) है, ताकि उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक की आवासीय गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य किया जा सके। इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी / संशोधन (Addendum/Corrigendum) केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

विवरण के लिए, आप <https://www.rbi.org.in> लिंक पर जा सकते हैं।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला



भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी
शिमला 171 009. दूरभाष:- 0177- 2629481

शिमला में भारतीय रिज़र्व बैंक के आवासीय परिसर हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए Expression Of Interest' (EOI) का आमंत्रण
INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ACQUISITION OF LAND FOR RESIDENTIAL COMPLEX OF RESERVE BANK OF INDIA AT SHIMLA

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की शिमला शाखा के आवासीय परिसर के लिए, 'द मॉल' / HP सचिवालय, शिमला के 08 किलोमीटर के दायरे में, कम से कम 5 एकड़ / 20,000 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदने के लिए Expression Of Interest (EOI) आमंत्रित की जाती है। यह आमंत्रण उन इच्छुक मालिकों / बिल्डरों के लिए है जिनके पास अपनी ज़मीन बेचने का स्पष्ट और पूर्ण स्वामित्व (Title) है, ताकि उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक की आवासीय गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य किया जा सके। इस संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी / संशोधन (Addendum/Corrigendum) केवल संस्थान की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

Expressions of Interest are invited for purchase of land measuring a minimum of 5 acres / 20000 sq mt for residential complex of Reserve Bank of India (RBI) Shimla branch within 08 KM radius of The Mall/HP Secretariat Shimla from the interested Owners/ Builders having clear and absolute title for sale of their Land for constructing the residential activities of the Reserve Bank of India. Any Addendum/ Corrigendum regarding this shall be uploaded on Institute's website only.

विवरण के लिए, आप <https://www.rbi.org.in> लिंक पर जा सकते हैं।

For details, you may visit the link <https://www.rbi.org.in>

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला



भारतीय रिज़र्व बैंक
मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी
शिमला 171 009. दूरभाष:- 0177- 2629481

शिमला में भारतीय रिज़र्व बैंक के आवासीय परिसर हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए Expression Of Interest' (EOI) का आमंत्रण

**INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ACQUISITION OF LAND /
LAND WITH BUILDING FOR RESIDENTIAL COMPLEX OF RESERVE BANK OF
INDIA AT SHIMLA**

EOI NO: RBI/EOI/RESEIDENCE_LAND_SHIMLA/2

भारतीय रिजर्व बैंक
अनुक्रमणिका / INDEX

क्रम संख्या Sl. No.	विवरण Description	पृष्ठ संख्या Page No.
1	EOI आमंत्रित करने की सूचना NOTICE INVITING EOI	4
2	आवेदकों / बोलीदाताओं के लिए निर्देश INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS / BIDDERS	7
3	सामान्य नियम एवं शर्तें GENERAL TERMS & CONDITIONS	16
4	अनुबंध-I ANNEXURE-I ACCEPTANCE LETTER TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT/AUTHORISED REPRESENTATIVE OF COMPANY/INDIVIDUAL	20
5	अनुबंध-II ANNEXURE-II CONFIRMATION BY THE APPLICANT/BIDDER FOR LAND AT SHIMLA/BUILT-UP FLOOR (S)	22
6	अनुबंध-III ANNEXURE-III CHECK LIST OF DOCUMENTS FOR EOI FOR LAND AT SHIMLA/BUILT-UP FLOOR (S)	24
7	अनुबंध-IV ANNEXURE-IV APPLICANT DETAIL	25
8	अनुबंध-V ANNEXURE-V TECHNICAL INFORMATION	27
9	शिमला में भूमि / निर्मित तल (तलों) के लिए EOI की मूल्य बोली का प्रारूप FORMAT OF PRICE BID OF EOI FOR LAND AT SHIMLA/BUILT-UP FLOOR (S)	28

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित करने की सूचना
NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
[शिमला में भूमि अधिग्रहण हेतु]
[For Acquisition of Land at Shimla]

दिनांक: 10 अप्रैल, 2026

विषय: शिमला में ज़मीन खरीदने के लिए 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' (EOI) का आमंत्रण। रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक, मेन मार्केट, कसुम्पटी, शिमला - 171009, शिमला में ज़मीन के इच्छुक मालिकों/डेवलपर्स से EOI आमंत्रित करते हैं, जिनके पास अपनी जगह बेचने के लिए स्पष्ट और पूर्ण मालिकाना हक़ (title) हो। **जिन मालिकों/डेवलपर्स के पास कम से कम 5 एकड़ / 20000 वर्ग मीटर ज़मीन है, वे इस EOI में भाग ले सकते हैं।**

Subject: Invitation of Expression of Interest (EOI) for acquisition of Land /

at Shimla. Regional Director, Reserve Bank of India, Main Market, Kasumpti, Shimla - 171009 invites EOIs from the interested Land Owners/Developers at Shimla having clear and absolute title for sale of their premises. **Owner(s)/Developer(s) who has land a minimum of 5 acres / 20000 sq mt can participate in this EOI.**

1.	कार्य का नाम / Name of the work	RBI के आवासीय परिसर के लिए शिमला में भूमि की खरीद Purchase of Land at Shimla for residential complex of RBI
2.	EOI दस्तावेज़ की लागत / Cost of EOI document	शून्य Nil
3.	EMD (बयाना जमा) / EMD (Earnest Money deposit)	प्रत्येक EOI के लिए 50,000/- रुपये (वापसी योग्य)। Rs. 50,000/- (Refundable) for each EOI.
4.	EMD दस्तावेज़ के लिए भुगतान के तरीके / Mode of Payments for EMD document	भारतीय रिज़र्व बैंक, एस्टेट विभाग, तीसरी मंज़िल, मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी, शिमला 171009 में NEFT के रूप में जमा किया जाना है। NEFT खाता विवरण: A/C No-186003001, भारतीय रिज़र्व बैंक,

		<p>IFSC कोड - RBIS0SMPA01 (0=शून्य), शाखा का नाम – शिमला। NEFT लेन-देन का विवरण EOI जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले estateshimla@rbi.org.in पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है; ऐसा न करने पर EOI दस्तावेज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>To be deposited in the form of NEFT to Reserve Bank of India, Estate Department, Third Floor, Main Market, Kasumpti, Shimla 171009</p> <p>NEFT Account details:</p> <p>A/C No-186003001, Reserve Bank of India, IFSC Code - RBIS0SMPA01 (0=Zero), Branch Name – Shimla. The details of NEFT transaction have to be provided to estateshimla@rbi.org.in on or before last date of submission of EOI, in the absence of which EOI document shall not be accepted.</p>
5.	EOI दस्तावेज़ की उपलब्धता / Availability of EOI Document	<p>RBI की वेबसाइट यानी www.rbi.org.in पर 10 अप्रैल, 2026 से प्रभावी</p> <p>On the RBI website i.e. www.rbi.org.in w.e.f.</p> <p>April 10, 2026</p>
6.	EOI जमा करने की अंतिम तिथि / Last date of submission of EOI	<p>21 मई, 2026, दोपहर 3:00 बजे तक।</p> <p>May 21, 2026 up to 3:00 PM.</p>
7.	EOI खोलने की तिथि (केवल तकनीकी बोलियाँ) / Date of opening of EOIs (only Technical bids)	<p>22 मई, 2026 को दोपहर 3:30 बजे</p> <p>May 22, 2026 at 3:30 PM.</p>

8.	EOI जमा करने/खोलने का स्थान / Place of submission/ opening of EOIs	भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी, शिमला-171009 Reserve Bank of India Main Market, Kasumpti, Shimla-171009
9.	EOI दस्तावेज़ जमा करने का माध्यम / Mode of submission of EOI documents	इसे हाथ से या डाक/कूरियर के माध्यम से जमा किया जा सकता है, ताकि यह निर्धारित तिथि और समय से पहले पहुँच जाए। May be submitted by hand or through Post/Courier so as to reach before the due date & time.

EOI का पूरा दस्तावेज़ RBI की वेबसाइट www.rbi.org.in पर 'Tenders' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है, और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

Complete EOI document is available on the RBI website i.e. www.rbi.org.in under Tenders link and the same can be downloaded.

EOI दस्तावेज़ों की प्राप्ति में डाक संबंधी किसी भी प्रकार की देरी के लिए RBI उत्तरदायी नहीं होगा, और निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त EOI पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित EMD दस्तावेज़ के बिना जमा किए गए EOI को तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

The RBI shall not be liable for any postal delays whatsoever in receipt of EOI documents and EOI received after the stipulated date & time shall not be entertained. EOIs submitted without prescribed EMD document will be summarily rejected.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सरकारी विभागों / सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों आदि से संबंधित संपत्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया ब्रोकर संपर्क न करें।

Priority would be given to Properties belonging to Public Sector Units / Govt. Departments / Public Financial Institutions etc. **No Brokers please.**

RBI के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी या सभी पक्षों के साथ बातचीत करे, प्राप्त हुई किसी भी या सभी EOI को स्वीकार या अस्वीकार करे, अथवा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस प्रक्रिया को रद्द कर दे।

The RBI reserves the right to have negotiations with any or all, accept or reject any or

all of the EOIs received or annul this process at any time without assigning any reason whatsoever.

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिमला

आवेदकों / बोलीदाताओं के लिए निर्देश
INSTRUCTIONS TO THE APPLICANTS / BIDDERS

EOI जमा करना:-

Submission of EOI:-

EOI को दो (2) अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा किया जाना है, और दोनों लिफाफों को एक और बड़े लिफाफे में रखा जाना है। इस बाहरी लिफाफे पर "शिमला में RBI आवासीय परिसर के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) के लिए आमंत्रण" अंकित होना चाहिए; साथ ही, इसे विधिवत सीलबंद करके निर्धारित तिथि और समय, यानी 21 मई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे तक, निम्नलिखित पते पर पहुँचा दिया जाना चाहिए।

The EOI is to be submitted in two (2) separate sealed envelopes and both the envelopes are to be placed in another bigger envelope. This outer envelope is to be superscribed as Invitation FOR Expression of Interest (EOI) for acquisition of Land at Shimla for RBI Residential complex and it should be duly sealed and delivered at the following address on or before the scheduled date and time i.e. May 21, 2026 up to 3:00 PM.

**क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय
रिज़र्व बैंक, मुख्य बाज़ार
कसुम्पटी, शिमला-171009
Regional Director,
Reserve Bank of India,
Main Market
Kasumpti, Shimla-
171009**

लिफाफा-I – जिस पर RBI आवासीय परिसर के लिए शिमला में भूमि अधिग्रहण हेतु “तकनीकी इनपुट”

अंकित होगा, उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

Envelope-I – Superscribed as “**Technical Inputs**” for Acquisition of Land at Shimla for RBI residential complex shall contain the followings:

- 1) बयाना जमा राशि की जानकारी (EMD)
Details of Earnest Money Deposit (EMD).
- 2) इस दस्तावेज़ में दिए गए निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-I) के अनुसार, EOI के नियमों और शर्तों हेतु un-conditional acceptance का स्वीकृति पत्र।
Acceptance letter for un-conditional acceptance of the terms and conditions of EOI as per prescribed format given in this document ([ANNEXURE-I](#)).
- 3) शिमला स्थित भूमि के आवेदक/स्वामी का संक्षिप्त विवरण, जिसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो:-

a) आवेदक/स्वामी/कंपनी का नाम

b) कंपनी के मामले में, निदेशकों का नाम , मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। साथ ही एक संक्षिप्त संगठनात्मक चार्ट।

Brief profile of the applicant/owner of the land at Shimla showing the following:-

a) Name of the applicant/ owner.

b) Name of the Director(s), Memorandum and Article of Association in case of a Company along with a brief organization chart.

4) मालिक/आवेदक/बोलीदाता, EOI के साथ-साथ, 'अन्य सामान्य शर्तों' के पैरा 21 में निर्दिष्ट मानदंडों के संबंध में अपने प्रस्तावों के समर्थन में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

The owner(s)/applicant(s)/bidder(s) may submit a brief write-up in support of their offers w.r.t the criteria specified in Para 21 of other general conditions along with the EOI on the above lines.

5) आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार पुष्टि (जो ANNEXURE-II में दी गई है), जिस पर मालिक(कों) / अधिकृत व्यक्ति के विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगी हो।

Confirmation by the applicant as per prescribed format (placed at [ANNEXURE-II](#)) duly signed and stamped by the owner(s) / authorized person.

6) वेबसाइट से डाउनलोड किया गया पूरा EOI दस्तावेज़, और यदि कोई शुद्धिपत्र/संशोधन (Corrigendum/Addendum) हो, तो वह भी; ये सभी आवेदक द्वारा विधिवत भरे हुए हों और उनके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर व मुहर लगी हो (इसके बिना तकनीकी भाग को अधूरा माना जाएगा)।

Complete EOI document as downloaded from website, Corrigendum/Addendum, if any, duly filled-in, signed and stamped on each page by applicant (Technical part will be treated as Incomplete without this).

7) पावर ऑफ़ अटॉर्नी (PoA) / साझेदारी विलेख (Partnership Deed) / बोर्ड प्रस्ताव (Board Resolution) की प्रति, जो नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित हो; यह उस व्यक्ति को अधिकृत करती हो जो EOI पर हस्ताक्षर करता है और उसे जमा करता है।

Copy of Power of Attorney (PoA)/ Partnership Deed/ Board Resolution), duly attested by Notary Public, authorizing the person who signs & submits the EOI.

8) कोई भी अन्य जानकारी जिसे EOI के साथ जमा करना आवश्यक हो।

Any other information as required to be submitted along with the EOI.

9) चेक लिस्ट (ANNEXURE-III) के अनुसार दस्तावेजों की प्रतियाँ।

Copy of documents as per check list ([ANNEXURE-III](#)).

10) आवेदक का विवरण (ANNEXURE-IV)

APPLICANT DETAIL ([ANNEXURE-IV](#)).

- 11) तकनीकी जानकारी (ANNEXURE-V)
Technical information ([ANNEXURE-V](#)).

लिफ़ाफ़ा-II – जिस पर शिमला में ज़मीन खरीदने के लिए “फाइनेंशियल ऑफ़र” लिखा हो, उसमें सिर्फ़ ठीक से भरी हुई, साइन की हुई और स्टैम्प लगी हुई प्राइस बिड (ठीक से सील की हुई) होगी।

Envelope-II – superscribed as “**Financial Offer**” for Acquisition of Land at Shimla shall only contain the duly filled-in, signed & stamped Price Bid (properly sealed).

दूसरे आम निर्देश:-

Other General Instructions:-

- 1 तय तारीख और समय के बाद मिले EOI पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें बिना खोले आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।
The EOIs received after the due date and time shall not be considered and shall be returned to the applicant unopened.
- 2 RBI किसी भी पोस्टल या दूसरी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा और आवेदक को यह पक्का करना चाहिए कि वे EOI को तय तारीख और समय से पहले ऊपर बताई गई जगह पर जमा कर दें।
RBI shall not be responsible for any postal or other delays and applicant should take care to ensure the submission of EOI(s) at above-mentioned place before due date and time.
- 3 सभी बदलाव, मिटाने और/या ओवर-राइटिंग, अगर कोई हो, तो EOI पर साइन करने वाले व्यक्ति द्वारा ठीक से ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए।
All alterations, erasure(s) and/or over-writing(s), if any, should be duly authenticated by the person signing the EOI.
- 4 EOI डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनने वाले सभी प्रोफ़ॉर्मा को आवेदक द्वारा ठीक से भरा, साइन और स्टैम्प किया जाना चाहिए।
All Proforma forming part of EOI documents has to be duly filled-in, signed and stamped by the applicant.

- 5 एक एप्लिकेंट एक से जायद EOI जमा कर सकता है, लेकिन हर EOI एक अलग सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए जिसमें सीलबंद "टेक्निकल इनपुट" और "फाइनेंशियल ऑफ़र" हों, साथ ही हर केस के लिए ज़रूरी EMD डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए।
- An applicant can submit more than one EOIs, but each EOI must be in a separate sealed envelope containing sealed "Technical Inputs" and "Financial Offer" therein as well as accompanied with requisite amount of EMD document for each case.
- 6 जिस एप्लिकेंट को इस प्रपोज़ल के बारे में कोई सवाल है, वे अपने सवाल ई-मेल एड्रेस - estateshimla@rbi.org.in पर भेज सकते हैं या ऑफिस के काम के घंटों में असिस्टेंट जनरल मैनेजर या मैनेजर, RBI से लैंडलाइन नंबर – 0177-2629481 पर संपर्क कर सकते हैं।
- Applicant who has any query about this proposal may send their queries to e-mail address - estateshimla@rbi.org.in or may contact Assistant General Manager Or Manager, RBI on Landline Number– 0177-2629481 during Office working hours.
- 7 EOI खोलना: सीलबंद ऑफ़र / EOI (सिर्फ़ टेक्निकल बिड) Competent अथॉरिटी द्वारा 22 मई, 2026 को दोपहर 3:00 बजे इस जगह पर खोले जाएँगे –

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मेन मार्केट कसुम्पटी,
शिमला-171009

Opening of EOIs: The sealed offers / EOIs (only Technical bids) will be opened by Competent Authority **on May 22, 2026 at 3:30 PM** in the premises at –

**Regional Director,
Reserve Bank of India
Main Market Kasumpti, Shimla-9**

अगर एप्लिकेंट सीलबंद ऑफ़र खोलने के दौरान मौजूद रहना चाहते हैं, तो एप्लिकेंट खुद या उनके ऑथराइज़्ड रिप्रेज़ेंटेटिव उसमें शामिल हो सकते हैं।

If the applicants wish to remain present during said opening of sealed offers, the applicants in person or their authorized representatives may attend the same.

- 8 शिमला में बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि का कानूनी ड्यू-डिलिजेंस RBI द्वारा किया जाएगा।

Legal Due-diligence of land at Shimla offered for sale shall be done by the RBI.

- 9 शिमला में जिस ज़मीन के लिए EOI के माध्यम से प्रस्ताव दिया गया है, उसके संबंध में 'टाइटल डीड' और/या अन्य ऐसे संपत्ति दस्तावेज़ (जो स्पष्ट और पूर्ण स्वामित्व प्रदान करते हों, और किसी भी प्रकार के भार से मुक्त हों), तथा साथ ही 'कंप्लीशन/ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट', 'फायर NOC' आदि—यानी शिमला की प्रस्तावित ज़मीन के लिए लागू सभी वैधानिक स्वीकृतियाँ—अनिवार्य होंगी।

Title Deed and/or such other property documents (conferring clear & absolute Ownership, free from any encumbrances) in respect of the land at Shimla offered through EOI and Completion/Occupancy Certificate, Fire NOC etc. all applicable statutory clearances in case of land at Shimla on offer shall be mandatory.

- 10 आवेदक/मालिक(कों) को RBI की ओर से कानूनी Due-diligence करने वाली किसी भी एजेंसी/व्यक्ति द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निर्धारित समय के भीतर स्पष्ट करना होगा।

The applicant/owner(s) is/are required to clarify the observations raised by any agency/ individual carrying out legal Due-diligence on behalf of the RBI within specified time.

- 11 आवेदक/मालिक(कों) द्वारा प्रस्तावित दरें शुरू में EOI खुलने की तारीख से कम से कम 180 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेंगी। प्रस्तावों की वैधता के लिए आवेदक/मालिक(कों) की सहमति से समय-सीमा बढ़ाने की भी आवश्यकता हो सकती है।

The rates offered by the applicant/owner(s) shall initially remain valid for a minimum period of 180 days from the date of opening of the EOIs. The validity of offers may also require extension of time with the consent of the applicant/owner(s).

- 12 केवल प्रस्ताव/EOI जमा करने को प्रस्ताव की स्वीकृति/चयन नहीं माना जाएगा। प्रॉपर्टी का चयन प्रस्तावों के विस्तृत विश्लेषण और मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जिसमें तकनीकी जानकारी/मूल्यांकन मानदंडों में उल्लिखित विभिन्न कारकों सहित अन्य कारकों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा, आवेदक यह ध्यान दें कि RBI शॉर्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों में से शिमला की किसी भी ज़मीन को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है।

Mere submission of offers/ EOIs will not be treated as acceptance/ selection of the offer. The property will be selected based on detailed analysis and

evaluation of offers considering various factors including those mentioned in the technical information/ criteria of evaluation. Further, the applicants may note that the RBI is not bound to purchase any of the land at Shimla from the shortlisted offers.

13 असफल आवेदकों की EMD (बयाना राशि) बिना किसी ब्याज के, केवल प्रस्ताव के अंतिम रूप दिए जाने/शॉर्ट-लिस्टिंग/प्रक्रिया के रद्द होने के बाद ही वापस की जाएगी। सफल आवेदक की EMD को कुल प्रतिफल (भुगतान राशि) में बिना किसी ब्याज के समायोजित कर दिया जाएगा। EMD of the unsuccessful applicants shall be refunded without any interest only after finalization of the proposal/ short-listing/ cancellation of the process. EMD of the successful applicant will be adjusted in the total consideration without any interest.

14 आवेदक/मालिक(कों) द्वारा EOI के साथ जमा की गई EMD (बयाना राशि) निम्नलिखित स्थितियों और कारणों से ज़ब्त की जा सकती है:

The EMD deposited by the applicant/owner(s) along with EOI shall be liable for forfeiture in the following events & reasons:

(a) यदि आवेदक/मालिक(कों) निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित स्थानीय निकायों या संबंधित वैधानिक प्राधिकरण से लाइसेंस/विकास अधिकारों आदि के RBI के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में टाइटल डीड/संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित अन्य वैधानिक दस्तावेज़ (जैसा कि शिमला में ज़मीन के मामले में लागू हो) प्राप्त करने में विफल रहते हैं।

If the applicant/owner(s) fail to get Title Deed/ property ownership related other statutory documents, (as applicable in case of land at Shimla), if any, from the respective local bodies or the concerned statutory authority in respect of transfer of license/development rights etc., whatsoever in favour of RBI within stipulated period.

(b) यदि आवेदक/मालिक(कों) बातचीत के दौरान या किसी भी चरण में बताई गई दरों को बढ़ा देते हैं।
If the applicant/owner(s) increases the quoted rates during negotiations or at any stage.

(c) यदि संपत्ति का टाइटल (स्वामित्व) दोषपूर्ण है और आवेदक/मालिक(कों) RBI/नियुक्त लॉ फर्म द्वारा बताए गए दोष/विसंगति(यों) को दिए गए समय के भीतर ठीक करने में विफल रहते हैं।
If the Title of property is defective & the applicant/owner(s) fails to rectify the defect/ anomaly (ies) pointed out by the RBI/ appointed Law Firm, within provided time.

(d) यदि आवेदक/मालिक(कों) जमा की गई EOI को वापस ले लेते हैं।

If the applicant/owner(s) withdraws the submitted EOI.

(e) यदि आवेदक/मालिक(कों) EOI जमा करने के बाद कोई शर्त(तें) लगाते हैं, तो ऐसे सशर्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।

If the applicant/owner(s) after submission of EOI imposes Condition(s), such Conditional offers are not acceptable.

(f) आवेदक/मालिक(कों) द्वारा किसी भी या सभी शर्तों को पूरा न करना।

Non-fulfillment of any or all of the conditions by the applicant/owner(s).

15 मालिक(कों) को अधिमानतः EOI सीधे जमा करनी चाहिए; अन्यथा, EOI के साथ एक प्राधिकरण पत्र (authorization letter) होना चाहिए, जो EOI के माध्यम से प्रस्तावित संपत्ति के वैध मालिक द्वारा आवेदक (यानी, EOI जमा करने वाले व्यक्ति/एजेंसी) के पक्ष में विधिवत जारी किया गया हो।

The owner(s) should preferably submit EOI directly; else, the EOI must accompany an authorization letter duly issued by the legitimate owner of the property offered through EOI in favour of the applicant, i.e. the person / agency submitting the EOI.

16 यदि EOI के तहत दी गई प्रॉपर्टी पर व्यक्तियों या कंपनियों के किसी समूह का मालिकाना हक है, तो बेहतर होगा कि ऐसे सभी व्यक्ति या उन कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि EOI के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें। व्यक्तियों या कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में एक 'अधिकार पत्र' (Authorization Letter) EOI के साथ संलग्न होना अनिवार्य है। यदि सभी व्यक्तियों या कंपनियों की ओर से केवल एक ही व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों या कंपनियों को EOI पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में एक अधिकार पत्र जारी करना होगा, जो 'नोटरी पब्लिक' द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

If group of individuals/companies own the Property offered by EOI, then preferably all the individuals / authorized representatives of such companies should sign the EOI documents. An authorization letter in favour of the persons signing on behalf of individuals / company must accompany the EOI. In case only one person is signing on behalf of all the individuals / companies then all such individual / companies shall issue an authorization letter in favour of person signing the EOI dully attested by Notary Public.

- 17 RBI के पास किसी भी, शॉर्ट-लिस्ट किए गए, या सभी इच्छुक आवेदक(कों) के साथ कीमत/दर पर बातचीत करने का अधिकार सुरक्षित है (यह बातचीत एक या कई चरणों में हो सकती है)।
The RBI reserves the right to **negotiate** (through single or multiple rounds of negotiations) the price/rate with any or short-listed or all the intending applicant(s).
- 18 बातचीत की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, आवेदकों से प्राप्त एकतरफा संशोधित प्रस्ताव/दरों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
The unilaterally revised offer/rates received from the applicants, after conclusion of the process of negotiations, shall not be entertained under any circumstances.
- 19 सशर्त बोलियाँ (Conditional bids) अस्वीकृत कर दी जाएँगी।
Conditional bids shall be rejected.
- 20 किसी भी रूप में प्रचार-प्रसार करने पर, प्रस्तुत संबंधित प्रस्ताव/EOI स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
Canvassing in any form will automatically disqualify the respective offer/EOI submitted.
- 21 संपत्ति के चयन के मापदंड

CRITERIA FOR SELECTION OF PROPERTY

संपत्ति की शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए, संशोधनों के साथ अथवा बिना संशोधनों के, निम्नलिखित मानदंडों को अपनाया जाएगा –

The following criteria, with or without modifications, shall be adopted for short-listing of the property) –

- (a) शिमला में ज़मीन, 'द मॉल' (**The Mall**) या **HP** सचिवालय से **05** किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।

The land at Shimla shall be in the radius of 05 km from The Mall /HP Secretariat.

- (b) स्थान, माहौल, पहुँच मार्ग, सार्वजनिक सुविधाओं से दूरी।

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित को प्राथमिकता दी जाएगी:-

- i. अच्छे अग्रभाग और पहुँच मार्गों वाले परिसर

- ii. 'द मॉल' / **HP** सचिवालय से दूरी

iii. भूमि का स्थान

The location, ambience, approach roads, distances to public amenities.

Further, preference would be given to the followings:-

- i. Premises with good frontage and approach roads
- ii. Distance from The Mall /HP Secretariat.
- iii. Location of the Land

इसके अलावा, यह प्रॉपर्टी निर्धारित संस्थागत/व्यावसायिक क्षेत्र में, अनुकूल वातावरण वाले विशिष्ट स्थानों पर और विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं के बिल्कुल करीब स्थित होनी चाहिए।

In addition, the property should be situated in earmarked institutional/commercial area in specified locations with congenial environment and in close proximity to various public amenities.

संपत्तियों को उपरोक्त कारकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

The properties will be shortlisted based on the above factors.

सामान्य नियम एवं शर्तें
GENERAL TERMS & CONDITIONS

संपत्तियों के चयन की प्रक्रिया

Procedure for Selection of properties:-

1. RBI, चयन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त हुए EOI (Expression of Interest) को खोलेगा और उनकी बारीकी से जांच करेगा।

RBI shall open & scrutinize the received EOIs taking into consideration the selection criteria.

2. RBI के प्रतिनिधि, भौतिक सत्यापन और स्थान की जांच के लिए साइट का दौरा करेंगे, तथा शिमला स्थित भूमि की वर्तमान स्थिति का अवलोकन करेंगे। इसके बाद, RBI अपनी संतुष्टि के लिए 'ड्यू डिलिजेंस' (Due Diligence) या अन्य सत्यापन प्रक्रियाएं पूरी कर सकता है; जिसके लिए आवेदक/मालिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करना होगा, जिसमें स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ और 'चेन ऑफ़ टाइटल' (स्वामित्व की क्रमिक श्रृंखला) के दस्तावेज़ शामिल हैं।

The representatives of RBI shall visit the site for physical verification, location & observe the status of land at Shimla. RBI subsequently may carry out Due Diligence or other verifications for its satisfaction, for which all assistance shall have to be provided by the applicant/owner(s) including ownership documents and chain of Title documents.

3. जिन आवेदनों के साथ चेक-लिस्ट [अनुलग्नक-III] के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न नहीं होंगे—या जो दस्तावेज़ विधिवत भरे हुए, मुहर लगे और हस्ताक्षरित नहीं होंगे—ऐसे आवेदन अस्वीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

The application(s) not accompanied by the documents as per the Check-list [[Annexure-III](#)] duly filled-in, stamped & signed, is/are liable to be rejected.

4. RBI के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है; किसी भी या सभी आवेदकों के साथ उद्धृत मूल्य (quoted price) में कमी के लिए बातचीत कर सकता है; अथवा किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए, इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकता है।

The RBI reserves the right to accept or reject any or all the applications, or negotiate for reduction in the quoted price with any or all the applicants or annul this process at any time without assigning any reason for whatsoever reasons.

5. RBI किसी भी EOI को अस्वीकृत करने का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
RBI is not bound to give reasons for rejection of any of the EOI.
6. इस मामले में RBI का निर्णय अंतिम होगा और सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा।
The decision of RBI in this matter shall be final & binding on all the applicants.
7. RBI की समिति द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद, RBI आवेदक/मालिकों के नाम पर 'LOI' (आशय पत्र) जारी करेगा।
RBI shall issue LOI in the name of applicant/owner(s) on approval of the proposal by the Committee of the RBI.
8. इसके बाद, सभी आवश्यक शर्तों—जैसे कि समस्त वैधानिक और कानूनी अनुपालनों—के RBI की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप पूरा हो जाने पर, एक 'विक्रय विलेख' (Sale Deed) निष्पादित किया जाएगा।
Subsequently a Sale Deed shall be executed on fulfillment of all required conditions such as all required Statutory and Legal Compliances to the best satisfaction of the RBI.
9. 'हस्तांतरण प्रपत्र' (Instrument of Transfer)/'हस्तांतरण विलेख' (Transfer Deed)/'कनवेयंस डीड' (Deed of Conveyance) तथा परिसर की खरीद से संबंधित अन्य किसी भी दस्तावेज़ पर देय 'स्टाम्प शुल्क' और 'पंजीकरण शुल्क' का वहन RBI द्वारा किया जाएगा।
The Stamp Duty and Registration charges payable on the Instrument of Transfer/Transfer Deed/Deed of Conveyance and any other documents towards the purchase of premises shall be borne by the RBI.
10. खरीद से पूर्व के सभी लंबित बकाया का भुगतान, चयनित संपत्ति के मालिक/मालिकों द्वारा किया जाएगा।
All the pending dues prior to Purchase will be borne by the owner(s) of selected Property.
11. RBI भुगतान का निर्गमन (release) विभिन्न चरणों में करेगा, जिसका विस्तृत विवरण आगे दिया गया है।
RBI will release payment in stages as detailed hereinafter.

भुगतान के नियम और शर्तें

TERMS & CONDITIONS OF PAYMENT

12. RBI, तय कीमत के आधार पर प्रॉपर्टी के मालिक/मालिकों को पेमेंट करेगा।
RBI will make payment to the Property owner(s) based upon agreed price.
13. पेमेंट तभी जारी किया जाएगा, जब RBI यहाँ बताए गए कानूनी और वैधानिक नियमों के पालन से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा।
- सेल डीड (बिक्रीनामा) पर दस्तखत के साथ पूरा पेमेंट, या
- आपसी सहमति से पेमेंट किस्तों में जारी किया जाएगा।
Payment will be released only after satisfaction of the RBI regarding both legal and statutory compliances as detailed here.
- Full payment along with execution of Sale Deed, or
- Payment to be released in phase-wise manner on mutual Agreement.
14. खरीदने वाला (RBI) ऊपर बताई गई शर्तों और नियमों के अनुसार, लागू TDS (स्रोत पर कर कटौती) काटकर, कुल कीमत का पेमेंट करने पर सहमत है। RBI उचित समय के भीतर TDS सर्टिफिकेट जारी करने पर भी सहमत है।
The purchaser (RBI) agrees to make payment of total consideration as per above mentioned terms and conditions to applicable tax deducted at source (TDS). The RBI also agrees to issue TDS certificate within a reasonable time.
15. RBI पेमेंट केवल 'अकाउंट पेई' चेक/RTGS के ज़रिए ही जारी करेगा; यह पेमेंट शिमला में ज़मीन के असली मालिक या उस ज़मीन की मालिक कंपनी को किया जाएगा। अगर मालिक/मालिक RTGS के ज़रिए पेमेंट पाना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध है कि वे ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराएँ।
RBI shall release payment only by account payee Cheque/RTGS, to the legitimate Owner of land at Shimla or the Company owning it. In case, the Owner(s) desires to receive payment through RTGS mode, they are requested to furnish requisite details.
16. बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी EOI (इच्छुकता की अभिव्यक्ति) को अस्वीकार या रद्द कर सकता है।
Bank reserves the right to reject/cancel any or all the EOI's without assigning any reason, whatsoever.
17. RBI इस प्रस्तावित सौदे/लेन-देन के लिए किसी भी व्यक्ति/एजेंट/रियल एस्टेट सलाहकार को कोई ब्रोकरेज (दलाली) नहीं देगा।
The RBI will not pay any brokerage to any person/Agent/Real Estate consultant for the proposed transaction/deal.

18. **मध्यस्थता (ARBITRATION):**

अगर इस समझौते के अर्थ या इसकी व्याख्या को लेकर कोई विवाद या मतभेद पैदा होता है, तो बैंक के अधिकृत अधिकारी और बेचने वाला आपसी सहमति से उन विवादों/मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करेंगे; अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो यह मामला RBI शिमला के एस्टेट विभाग द्वारा नियुक्त 'एकमात्र मध्यस्थ' (Sole Arbitrator) को सौंप दिया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही पर 'मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996' के प्रावधान लागू होंगे। मध्यस्थता की कार्यवाही शिमला में होगी। मध्यस्थता की कार्यवाही का खर्च दोनों पक्ष बराबर-बराबर बाँटेंगे। मध्यस्थ का निर्णय/फैसला अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

In case of any dispute or difference arising in relation to meaning or interpretation of the agreement, the authorized official of the Bank and the seller will address the disputes/ differences for mutual resolution and failing which the matter shall be referred to the Sole Arbitrator appointed by the Estate department RBI Shimla, The provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 will be applicable to the arbitration proceedings. The venue of the arbitration shall be in Shimla. The cost of the Arbitration proceedings shall be shared equally by both the parties. The decision / award of the arbitrator shall be final and binding.

19. **(अधिकार क्षेत्र) Jurisdiction:**

इस EOI से जुड़े सभी विवाद शिमला की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।
All disputes arising out of this EOI are subject to the jurisdiction of Courts in Shimla.

**आवेदक / कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि / व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला स्वीकृति पत्र
ACCEPTANCE LETTER TO BE SUBMITTED BY THE APPLICANT/ AUTHORISED
REPRESENTATIVE OF COMPANY/ INDIVIDUAL**

**[बेहतर होगा कि यह उस कंपनी/व्यक्ति के लेटरहेड पर हो, जिसके पास शिमला में ज़मीन का
मालिकाना हक़ है]
[PREFERABLY ON LETTER HEAD OF THE COMPANY/ INDIVIDUAL OWNING LAND
AT SHIMLA]**

To,

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी,
शिमला-171009

महोदय,

विषय:- "शिमला में आवासीय परिसर हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए Expression of Interest (EOI) का
आमंत्रण - दिनांक 10 अप्रैल, 2026"।

**Sub.:- "Invitation of Expression of Interest (EOI) for acquisition of Land at Shimla
for Residential Complex dated April 10, 2026."**

मैंने/हमने शिमला में ज़मीन को खरीदने के लिए EOI जमा करने का दस्तावेज़ RBI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। मैं/हम इसके द्वारा, इस जगह की बिक्री से जुड़ी EOI की सभी शर्तों को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। मैं/हम यह समझते हैं कि RBI, शिमला में एक उचित आकार की ज़मीन खरीदना/अधिग्रहण करना चाहता है; इसके लिए वह प्रस्तावित जगह/लोकेशन/परिसर और उससे जुड़े दस्तावेज़ों की पूरी जाँच-पड़ताल (due diligence) उस तरीके से करेगा, जिसे RBI उचित समझेगा।

I/We have downloaded the document for submission of EOI for acquisition of land at Shimla, from the official website of the RBI. I/We hereby unconditionally accept the EOI conditions in its entirety for the sale of premises. I/We understand that the RBI intends to purchase/acquire an appropriate size land at Shimla after due diligence of the offered site/location/premises & related documents in the manner, RBI may deem fit.

EOI दस्तावेज़ (आवेदक के लिए निर्देश) की सामग्री पर ध्यान दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि EOI की शर्तों को बिना किसी शर्त के पूरी तरह से स्वीकार करने के बाद, संबंधित लिफाफे में संलग्न EOI में कोई भी टिप्पणी/शर्त (कीमत पर बिना शर्त छूट को छोड़कर, यदि कोई हो) रखना अनुमेय नहीं है; और वर्तमान मामले में इसी बात का पालन किया गया है।

The contents of EOI document (Instructions to Applicant) have been noted wherein it is clarified that after unconditionally accepting the EOI condition in its entirety, it is not permissible to put any remark(s)/condition(s) (except unconditional rebate on price, if any) in the EOI enclosed in the respective Envelope and the same has been followed in the present case.

यदि लिफाफा खोले जाने के बाद किसी भी समय EOI दस्तावेज़ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो मैं/हम सहमत हैं कि EOI को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और RBI, अपने किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि (EMD) की पूरी राशि को पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। मैंने/हमने EOI की शर्तों के अनुसार कार्य करने में विफलता की उन अन्य परिस्थितियों या घटनाओं को भी नोट किया है और स्वीकार किया है, जिनके कारण हमारे द्वारा जमा की गई EMD को जब्त किया जा सकता है।

In case any provision of the EOI document is found violated at any time after opening of the Envelope, I/We agree that the EOI shall be summarily rejected and RBI shall, without prejudice to any other right or remedy be at liberty to forfeit the full amount of said earnest money (EMD) absolutely. I/We have also noted & accepted the other circumstances or events of failure to perform in accordance with the terms of the EOI, which may call for forfeiture of EMD submitted by us.

आवश्यक अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) दस्तावेज़ इसके साथ संलग्न हैं। प्रारूप (ANNEXURE-II) के अनुसार आवश्यक पुष्टि इसके साथ संलग्न है।

The required Earnest Money Deposit (EMD) document are enclosed herewith. The required confirmation as per format ([ANNEXURE-II](#)) is enclosed herewith.

धन्यवाद,

Yours faithfully,

आवेदक के हस्ताक्षर (मुहर सहित नाम)

भूमि के लिए आवेदक द्वारा पुष्टि

CONFIRMATION BY THE APPLICANT FOR LAND/

(Preferably on the letter-head)

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

I, _____(S/o _____, and R/o _____) on behalf of _____(Name of the company, if applicable), that have submitted its **EXPRESSION OF INTEREST (EOI) FOR ACQUISITION OF LAND AT SHIMLA FOR RESIDENTIAL COMPLEX** at _____(Location) confirms that;

(Please put 'tick' as applicable)

1. The offered land at Shimla is registered and mutated in the name of me /us /said company.
2. The offered land at Shimla have a clear Title and there is no dispute of any kind on this land and/or premises offered through EOI.
3. The offered premises are RERA Compliant [in case of land at Shimla/].
4. The said land at Shimla fall under the approved Master Plan of local authority/regulatory body (ies).
5. The land at Shimla, are free from all kind of encumbrances.
6. The property is Freehold or Leasehold _____(Please clearly specify).
7. In case of Leasehold, the Lease period starting from _____(date) is valid for _____years.
8. We further confirm that:

(A) We, have not taken any loan on the offered land

OR

We have taken a loan, against the offered land at Shimla, amounting to Rs. ___from _____(Name, address of the financial institution), out of which an amount of Rs. _____is outstanding as on date (Please attach Certificate from the financial institution confirming the present outstanding amount).

(B) No charge has been created on the said offered land at Shimla, through Registrar of Companies (ROC)/ in anyone's favour.

OR

A charge amounting to Rs. _____was created in favour of _____through ROC, which stands cleared as on date [Please attach necessary supporting document(s)].

OR

A charge amounting to Rs. _____has been / was created in favour of _____through ROC, which is still in force [Please attach necessary supporting document(s)].

(C) No third party lien or interest has been created on the offered land at Shimla.

OR

Third party lien or interest had been created on the offered land/land at Shimla, which has been cleared as on date.

OR

Third party lien or interest has been created on the offered land at Shimla/, which is still in force (Please submit details as applicable and also attach supporting documents).

Signature of the Owner(s) / Authorized representative (with seal)

शिमला में ज़मीन और इमारत के लिए EOI हेतु दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट
CHECK LIST OF DOCUMENTS FOR EOI FOR LAND LAND WITH BUIDLING AT SHIMLA

(Please put 'tick' as applicable)

Sl. No.	ITEM DESCRIPTION	YES	NO	NA (Not Applicable)
1.	Location plan of offered land at Shimla, where the land is situated w.r.t. the existing adjoining areas, Approach road, NH, Railway station, Bus stand, Market etc. (preferably on Google map) and Site Plan.			
2.	Location of the plot of land at Shimla marked on the approved Master Plan / City Plan of that area.			
3.	Title documents of the land at Shimla [Sale Deed/ Lease Deed/ Conveyance Deed/Mutation Certificate (including tatima and jamabandi)/ Allotment & Possession Letters etc.]			
4.	Certificate of Registration under RERA (as applicable).			
5.	Memorandum and Articles of Association.			
6.	EMD document.			
7.	Documents as mentioned in Envelope I on page 8,9 and 10 of the EOI Document			
8.	Any other pertinent document/information, the applicant/ owner(s) may like to submit/mention.			

Signature: _____

Name: _____

Seal: _____

आवेदक का विवरण
APPLICANT DETAIL

Sl. No.	ITEM DESCRIPTION	INFORMATION/ INPUTS/ DETAILS
1	Name and address of Owner with Telephone No., Mobile No., Fax No. & E-mail address	
2	Legal status of the Owner (attach copies of original documents defining the legal status):- (a) A Proprietary Firm. (b) A Partnership Firm. (c) A Limited Company (Private or Public) or Corporation. (d) Individual.	
3	Name of Directors / Partners with their Addresses, Telephone number, Mobile number, Fax, E-mail address(es).	1. 2. 3.
4	Name and Designation of individuals authorized to act for the Organization. (in case the owner is not an individual)	1. 2. 3.
5	Has the owner, ever been convicted by a Court of Law? If so, give details. Also, provide the details of Court Case going on.	
6	Other details:- a) PAN b) GST/ VAT/ Service Tax Reg. No. (Copies to be enclosed)	
7	Any other information considered necessary but not included above.	
		Signature and Seal of Applicant

Note:- In “Other details”, if any of the registration/clearance is not applicable/ exempted/ not available, the Applicant shall submit an Affidavit/Undertaking to that effect or, stating that the same will be obtained (as per requirements and to the best satisfaction of the RBI) before participating in final selection against this tendering process and prior to issuance of any Letter of Intent (LOI).

Signature: _____

Name: _____

Seal: _____

शिमला में भूमि के लिए EOI हेतु तकनीकी जानकारी
TECHNICAL INFORMATION FOR EOI FOR LAND AT SHIMLA

Sl. No.	PARTICULARS	INPUTS
1.	Details of RBI Residential Complex Land at Shimla: Details about land (in case of land at Shimla): <ul style="list-style-type: none">- Size of plot of land- Land Use pattern- Allowable FAR- Allowable Ground Coverage- Facilities like Power & Water supply, drainage/sewerage, if any	
2.	Name and complete Address of the Property offered in EOI [in respect of Land at Shimla]	

Signature: _____

Name: _____

Seal: _____

शिमला में भूमि हेतु EOI की मूल्य बोली
PRICE BID OF EOI FOR LAND AT SHIMLA

To,

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
मुख्य बाज़ार, कसुम्पटी,
शिमला-171009

महोदय,

विषय:- “शिमला में आवासीय परिसर हेतु भूमि के अधिग्रहण के लिए ‘Expression of Interest (EOI) का आमंत्रण”

Sub:- “Invitation of Expression of Interest (EOI) for acquisition of Land at Shimla for Residential Complex”

संदर्भ:- विज्ञापन, **EOI** संख्या के माध्यम से: **RBI** में आवासीय परिसर हेतु भूमि की खरीद।

Ref.:-Advertisement vide EOI No.: Purchase of Land for RBI Residential Complex.

हमें शिमला में RBI की संस्थागत गतिविधियों के संचालन हेतु शिमला में भूमि की खरीद के लिए अपना Expression of Interest प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

We are pleased to submit our EOI for purchase of Land at Shimla for carrying out institutional activities of RBI at Shimla as per following details:-

A.	Location (address)	
B.	Details of the Land for RBI residential complex use at Shimla, offered (a) Land: 1. Total Land Area (in sqm.) - 2. Offered Rate (Rs. per sqm.) (excluding registration fee & stamp duty charges)	

1. ऊपर बताई गई जगह की दर/रकम में सभी तरह के शुल्क शामिल हैं (जैसे कार पार्किंग, रखरखाव शुल्क, सोसाइटी और एपेक्स बॉडी बनाने का शुल्क, बिजली/पानी/गैस कनेक्शन शुल्क, क्लब हाउस के लिए कॉर्पस फंड आदि, यदि कोई हो), लेकिन इसमें पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी शुल्क शामिल नहीं हैं।

Above quoted rate /amount of the premises inclusive of all charges whatsoever (charges such as car parking area charges, maintenance charges, formation of society and apex body charges, electricity/water/gas connection charges, corpus fund for club house, etc. ,if any) but excluding registration and stamp duty charges.

2. RBI किसी अन्य शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।
RBI will not make payment for any other charges.
3. कार्पेट एरिया का मतलब होगा, किसी भी फ्लोर लेवल पर इस्तेमाल करने लायक कार्पेट एरिया। यह कमरे की अंदरूनी दीवारों के बीच की नेट फिनिशड माप पर आधारित होगा। इसमें बाहरी और अंदरूनी दीवारों, दरवाज़े के फ्रेम, डॉक्स, शाफ्ट, सभी आंशिक रूप से ढकी हुई और बिना ढकी बालकनियाँ, फूलों की क्यारियाँ और कॉमन एरिया शामिल नहीं होंगे (ज़मीन पर बनी किसी भी बिल्डिंग के मामले में, पूरी तरह से ढकी हुई बालकनी का 50% एरिया कार्पेट एरिया में शामिल किया जाएगा)।
The carpet area would mean the useable carpet area at any floor level based on the net finished wall to wall internal room measurement excluding external, internal walls, door jambs, docks, shafts, all partially covered and uncovered balconies, flower beds, common areas (50% of the area of the fully covered balcony to be included in the carpet area),in case any building in land.
4. भुगतान करते समय, लागू नियमों और मानदंडों के अनुसार लागू कर की कटौती की जाएगी।
Applicable tax shall be deducted as per the applicable rules and norms, while making the payment.

Thanking you,

Yours faithfully,

Place:

Date:

Signature of Applicant

Name with seal